उत्तराखण्ड राज्य

कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, कमांन्द, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड।

पिन-249131

ईमेल : gdckamand2016@gmail.com मोबाइल संख्या – 9897788009, 9410520590

पत्रांक : IQAC Policy /IQAC /2024-25 दिनांक : 18 दिसम्बर 2024

हरित परिसर नीति दस्तावेज़ (Policy Document for Green Campus)

राजकीय महाविद्यालय कमांद, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड

1. प्रस्तावना (Introduction)

हरित परिसर (Green Campus) की अवधारणा शिक्षा, अनुसंधान एवं सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रबंधन को एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हरित परिसर का तात्पर्य ऐसे शैक्षणिक परिसर से है, जहाँ पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास को संस्थान की दैनिक गतिविधियों, प्रबंधन व्यवस्था तथा कार्य-संस्कृति का अभिन्न अंग बनाया जाता है।

इस अवधारणा के अंतर्गत 3R अर्थात् अपशिष्ट में कमी (Reduce), पुनः उपयोग (Reuse) एवं पुनर्चक्रण (Recycle), हरित क्षेत्र का विकास, पर्यावरण अनुकूल संसाधनों का उपयोग, स्वच्छता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व जैसी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। इसके साथ ही महाविद्यालय की भौतिक संरचना, भौगोलिक स्थिति तथा परिसर में रहने वाले विद्यार्थियों, प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के व्यवहार को भी पर्यावरण संरक्षण के अनुरूप विकसित किया जाता है।

हरित परिसर का मूल उद्देश्य महाविद्यालय को स्वच्छ, सुंदर, प्रदूषणमुक्त एवं पर्यावरण के अनुकूल बनाना है, ताकि यह विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के लिए एक स्वस्थ एवं अनुकूल कार्य तथा अध्ययन स्थल बन सके।

2. हरित परिसर की अवधारणा के उद्देश्य (Objectives of Green Campus Concept)

महाविद्यालय निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है—

1. हरित परिसर कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संस्थान की संगठनात्मक संरचना के अंतर्गत एक सक्षम हरित परिसर समिति (Green Campus Committee) का गठन करना।
2. इस पहल को स्पष्टता, प्रामाणिकता एवं संस्थागत आधार प्रदान करने के लिए एक औपचारिक नीति दस्तावेज तैयार करना, जिसमें कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु रणनीतियों, योजनाओं एवं संबंधित गतिविधियों का उल्लेख हो।

3. परिसर में संसाधनों के अपव्यय को रोकना, ऊर्जा के पारंपरिक एवं वैकल्पिक स्रोतों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, अपशिष्ट का उचित निस्तारण सुनिश्चित करना, पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं की खरीद को प्रोत्साहित करना तथा प्रभावी पुनर्चक्रण व्यवस्था विकसित करना।

4. हरित परिसर से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध रणनीतियाँ तैयार करना तथा उन्हें संस्थागत नियोजन एवं बजट प्रक्रिया का हिस्सा बनाना, जिससे स्वच्छ एवं हरित परिसर का विकास किया जा सके।

5. विद्यार्थियों, प्राध्यापकों एवं सहायक कर्मचारियों की सहभागिता से आत्मनिर्भरता एवं पर्यावरण संरक्षण की संस्कृति विकसित करना तथा संपूर्ण महाविद्यालय परिसर को पर्यावरण अनुकूल बनाना।

6. हरित परिसर पहल (Green Campus Initiatives – GCI) के माध्यम से महाविद्यालय को नवाचार, अनुसंधान एवं पर्यावरणीय प्रयोगों के लिए एक जीवंत प्रयोगशाला (Living Laboratory) के रूप में विकसित करना।

3. भू-दृश्य एवं हरित क्षेत्र विकास पहल (Landscaping Initiative)

महाविद्यालय में खुले भू-भाग की उपलब्धता सीमित होने के कारण उपलब्ध स्थान का समुचित उपयोग करते हुए पौधारोपण एवं हरित क्षेत्र विकास की गतिविधियाँ संचालित की जाएँगी।

इसके अंतर्गत भवन परिसर एवं उपलब्ध स्थानों पर हल्के वजन वाले गमलों तथा उपयुक्त पौधों का उपयोग किया जाएगा, ताकि महाविद्यालय भवन की संरचना पर अतिरिक्त भार न पड़े। स्थानीय जलवायु के अनुकूल पौधों, सजावटी पौधों एवं औषधीय पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी।

पौधों के संरक्षण, नियमित सिंचाई एवं रखरखाव के लिए विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

4. स्वच्छ वायु पहल (Clean Air Initiative)

महाविद्यालय वायु प्रदूषण को कम करने तथा परिसर में स्वच्छ एवं स्वस्थ वायु की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रयास किए जाएँगे—

1. परिसर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जागरूकता एवं आवश्यक उपाय अपनाना।
2. उपलब्ध स्थानों पर वृक्षारोपण एवं हरित आवरण (Green Cover) को बनाए रखना तथा उसका विस्तार करना।

3. पौधों एवं वृक्षों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) के अवशोषण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना।

4. खुले में कचरा जलाने पर रोक लगाना।

5. स्वच्छ एवं प्रदूषणमुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को जागरूक करना।

5. अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया (Waste Management Processes)

यह नीति सतत एवं पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति महाविद्यालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इसके अंतर्गत पुनर्चक्रण एवं कचरा प्रबंधन सहित पर्यावरणीय स्थिरता से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं कार्ययोजना अपनाई जाएगी।

महाविद्यालय अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करेगा—

1. **रोकथाम (Prevent):** अपशिष्ट उत्पन्न होने की संभावना को यथासंभव समाप्त करना।

2. **कमी (Reduce):** उत्पन्न होने वाले कचरे की मात्रा को न्यूनतम करना।

3. **पुनः उपयोग (Reuse):** वस्तुओं की मरम्मत, नवीनीकरण एवं पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करना।

4. **पुनर्चक्रण (Recycle):** कचरे का पृथक्करण करके पुनर्चक्रण योग्य सामग्री की मात्रा बढ़ाना।

5. **संसाधन पुनर्प्राप्ति (Recovery):** पुनर्चक्रण योग्य न होने वाले अपशिष्ट से जहाँ संभव हो, ऊर्जा अथवा अन्य उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति करना।

6. **निस्तारण (Disposal):** अन्य सभी विकल्प समाप्त होने के बाद ही अपशिष्ट का सुरक्षित एवं उचित निस्तारण करना।

6. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management)

महाविद्यालय में ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन एवं कागज, प्लास्टिक तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाएँगे—

1. कागज के न्यूनतम एवं विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। दस्तावेजों की हार्ड कॉपी के स्थान पर यथासंभव डिजिटल प्रारूप का उपयोग किया जाएगा।

2. कागज की खपत कम करने के लिए दोहरे पृष्ठ पर मुद्रण (Double-sided Printing), छोटे फॉन्ट में मुद्रण तथा फास्ट ड्राफ्ट मोड का उपयोग किया जाएगा।

3. कागज की बचत के लिए ई-बिलिंग (E-Billing) को प्रोत्साहित किया जाएगा।

4. स्टेपलर पिन के स्थान पर पेपर क्लिप के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

5. धातु के क्लिप वाले लिफाफों एवं फाइल फोल्डरों पर पुराने लेबल के ऊपर नया लेबल लगाकर उनका पुनः उपयोग किया जाएगा।

6. ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण हेतु रंग-आधारित कूड़ेदान प्रणाली अपनाई जाएगी—
 - **हरे रंग के कूड़ेदान:** भोजन के अवशेष एवं अन्य जैव-अपघटनीय कचरे के लिए।
 - **नीले रंग के कूड़ेदान:** प्लास्टिक रैपर एवं अन्य गैर-जैव-अपघटनीय कचरे के लिए।

7. भोजन से उत्पन्न जैविक अपशिष्ट के एक हिस्से का उपयोग परिसर में स्थापित बोकाशी (Bokashi) कम्पोस्टिंग प्रणाली के माध्यम से जैविक खाद बनाने में किया जाएगा।

8. परिसर में स्थापित कूड़ेदानों की नियमित रूप से प्रतिदिन सफाई एवं खाली करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

9. उपयोग किए गए सैनिटरी नैपकिन का निस्तारण परिसर में स्थापित इंसीनरेटर (Incinerator) के माध्यम से निर्धारित सुरक्षा एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप किया जाएगा।

7. तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं रासायनिक अपशिष्ट प्रबंधन (Liquid Waste Management / Chemical Waste Management)

महाविद्यालय की प्रयोगशालाओं में उत्पन्न होने वाले रासायनिक अपशिष्ट का सुरक्षित संग्रहण, पृथक्करण एवं निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

इसके अंतर्गत निम्नलिखित उपाय अपनाए जाएँगे—

1. **लैब पैक सेवा (Lab Pack Service):** प्रयोगशालाओं में उत्पन्न रासायनिक अपशिष्ट की पहचान, वर्गीकरण एवं पृथक्करण किया जाएगा। रसायनों को उनकी प्रकृति के अनुसार विलायक (Solvent), अम्ल (Acid) एवं क्षार (Base) की श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। इसके पश्चात उन्हें सुरक्षित रूप से पुनः पैक करके निर्धारित ड्रम अथवा टैंक में रखा जाएगा। रासायनिक अपशिष्ट के लिए निर्धारित काले रंग के कूड़ेदान (Black Bin) अथवा सुरक्षित संग्रहण व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा।

2. प्रयोगशालाओं में रासायनिक अपशिष्ट की मात्रा कम करने के लिए शैक्षणिक एवं व्यावहारिक स्तर पर आवश्यक रणनीतियाँ अपनाई जाएँगी।

3. उपलब्ध पुनः उपयोग एवं पुनर्चक्रण योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा अपशिष्ट को उसके उत्पन्न होने के स्रोत पर ही कम करने के लिए नई योजनाएँ विकसित की जाएँगी।

4. पुनर्चक्रण एवं अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी गतिविधियों में अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं परिसर से जुड़े अन्य व्यक्तियों के बीच प्रभावी संवाद एवं जागरूकता विकसित की जाएगी।

8. ई-अपशिष्ट प्रबंधन (E-Waste Management)

महाविद्यालय में अनुपयोगी एवं पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल निस्तारण के लिए ई-अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था अपनाई जाएगी।

इसके अंतर्गत निम्नलिखित उपाय किए जाएँगे—

1. पुराने एवं अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निस्तारण अधिकृत एवं अनुमोदित एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा।
2. ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनकी उपयोग अवधि (Life Span) अधिक हो तथा जिन्हें लंबे समय तक उपयोग किया जा सके।
3. पुराने कंप्यूटर एवं लैपटॉप के स्थान पर नए कंप्यूटर एवं बैटरियाँ खरीदते समय विक्रेताओं की बाय-बैक नीति (Buyback Policy) का उपयोग किया जाएगा।
4. ई-अपशिष्ट के उचित संग्रहण, पुनर्चक्रण एवं निस्तारण के लिए संबंधित अधिकृत एजेंसियों के साथ किए गए समझौता ज्ञापनों (MoUs) का समय-समय पर नवीनीकरण किया जाएगा।
5. विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को ई-अपशिष्ट के दुष्प्रभावों तथा उसके सुरक्षित निस्तारण के प्रति जागरूक किया जाएगा।

नीति का उद्देश्य: राजकीय महाविद्यालय कमांद, टिहरी गढ़वाल को स्वच्छ, हरित, पर्यावरण अनुकूल एवं सतत विकास के आदर्शों पर आधारित शैक्षणिक परिसर के रूप में विकसित करना तथा विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों में पर्यावरणीय चेतना और उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना।

डॉ. राकेश मोहन नौटियाल
संयोजक आई क्यु ए सी

डॉ. दीपक राणा
नोडल अधिकारी ग्रीन कैंपस इनिसियेट

Professor Gauri Sewak
Principal
प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
कमान्द, टिहरी गढ़वाल।